न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः– लक्ष्मण सि
आ

अपील संख्या 9/2023

1. परमेश्वरी पुत्री स्व0 नौरंग पत्नि बुद्धराम, जाति जाट, निवासी कुल्हरियो का बास, तहसील म
जिला झुंझुनूं (राज0)
2. मणी पुत्री स्व0 नौरंग पत्नि जयकरण, जाति जाट, निवासी भोजासर, तहसील मण्डावा, जिल
(राज0)

––अपी

बनाम

1. पालाराम
2. चुन्नीलाल
3. पूर्णसिह
4. महेश कुमार

पुत्रगण स्व0 नौरग, जाति जाट, निवासीगण रसोड़ा, तहसील मण्डावा, जिला झुंझुनूं (रा

––रेस्पो

––

प्रथम अपील अ0धा0 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 प्रथम अपील खिलाफ आदेश तह
(भू0अ0) झुझुनू बाबत नामान्तकरण संख्या 99 ग्राम रसोड़ा तत्कालीन तहसील झुंझुनूं हाल
मण्डावा आदेश दिनांक 20.06.1989

–––

उपस्थितः–

1. श्री विजयपाल, एडवोकेट– अपीलान्ट्स की ओर से उपस्थित।
2. श्री किशोर कुमार जांगिड/श्री श्रवण सिंह, एडवोकेट– रेस्पोडेन्ट्स सं0 1 व 3 की ओर
3. श्री सुनिल कुमार, एडवोकेट– रेस्पोडेन्ट्स सं0 2 व 4 की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक 27

उक्त विषयक अपील विद्वान तत्कालीन तहसीलदार झुंझुनूं हाल तहसीलदार मण्डावा क
दिनांक 20.06.1989 नामान्तरकरण सं0 99 वाके कस्बा रसोडा के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। प्र
अन्तर्गत दफा 5 मि0अ0 एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जा0दी0 पर बहस सुनी गयी। अ
निर्णय गुणावगुण के आधार पर करने की दृष्टि से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत दफा 5 मि0अ0 एवं प्र
अन्तर्गत धारा 96 जा0दी0 स्वीकार किया जाता है। अपीलान्टस के अनुसार अपील इस प्रका
कि ग्राम रसोड़ा में एक नौरंग नामक व्यक्ति पैदा हुआ। नौरंग का देहान्त दिनांक 04.02.
हुआ। नौरंग की पत्नि का देहान्त दिनांक 03.03.201... को हुआ। नौरंग के चार पुत्र रेस्पोडेन्ट
पुत्रियां अपीलान्ट्स पैदा हुई। इस प्रकार हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के मुताबिक
वारिस अपीलान्ट्स व रेस्पोडेन्ट्स हुये... ...खसरा ...0 ... रकबा 26 बीघा ...
रकबा 6.58 बिश्वा व गत ख0न0 125 ... रकबा 26 बीघा 15 बिश्वा ...
लगायत 325 व 346 सरहद मौजा ग्राम रसोड़ा स्थित है। उक्त आराजी का टिनेंट अपील
रेस्पोडेन्ट्स का पिता नौरंग रहा और उत्तराधिकार में उक्त आराजी के खातेदारी राईट्स बहिस्
अपीलान्ट्स व रेस्पोडेन्ट्स को प्राप्त हुये। अदालत मातहत ने नौरंग के देहान्त होने
आराजियात के संबंध में नामान्तरकरण संख्या 99 बहक रेस्पोडेन्ट्स दिनांक 20.06.1989 को ग
से स्वीकार किया। उक्त विरासत नामान्तरकरण से अपीलान्ट्स प्रभावित है। उक्त ना
अपीलान्ट्स के हितो के विपरित है। इस कारण अपीलान्ट्स की ओर से यह अपील नीचे लिख
पेश है कि अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर बहस बाबत नामान्तकरण संख्या 99 ग्रा
खिलाफ कानून न्याय व पत्रावली है। अदालत मातहत ने अपीलान्ट्स को सुनवाई का अवसर

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2023.05.16 12:22:09 IST
Reason: SelfAttested

वारिसान की जांच नही की है और बिना वारिसान की जांच किये उपरोक्त नामान्तरकरण स्वीकार है। अपीलान्ट्स नौरंग की पुत्रियां होने से हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत नौरंग की वारि विरासतन नामान्तरकरण संख्या 99 अपीलान्ट्स व रेस्पोडेन्ट्स के हक में बहिस्सा बराबर स्वीकृत चाहिये था जो नही कर अदालत मातहत ने तथ्य व विधि की भूल की है। अदालत मातहत द्वा 135 (1) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत नामान्तरकरण स्वीकृत करने से उत्तराधिकारियो की जांच नही की गई है। आदेश जैर बहस स्पीकिंग नही है। आदेश जैर ब केवल यह दर्ज किया गया है कि "कॉलम संख्या 11 स्वीकार किया जाता है" इस प्रकार वारिस जांच नही की गई है। अपीलान्ट्स नामान्तरकरण जैर बहस संख्या 99 ग्राम रसोड़ा दिनांक 20.0 से प्रभावित हैं उक्त नामान्तकरण अपीलान्ट्स के हितो के विपरीत स्वीकृत किया गया है। इस अपीलान्ट्स प्रभावित पक्षकार की हैसियत से यह अपील प्रस्तुत कर रही है। अतः अपील पे निवेदन है कि अपील अपीलान्ट्स स्वीकार फरमायी जाकर अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश नामान्तरकरण सख्या 99 ग्राम रसोड़ा दिनांक 20.06.1989 को अपास्त किया जाकर प्रकरण अ मातहत को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जावे कि अदालत मातहत नौरंग के वारिसान क कर विरासत नामान्तकरण की कार्यवाही करे।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट्स ने बहस के दौरान अपील की पुनरावर्ती की तथा तर्क प्रस्तुत किया कि अदालत मातहत ने अपीलान्ट्स को सुनवाई का दिये बिना अपीलान्ट्स के पिता की मृत्यु होने पर उक्त नामान्तकरण अकेले रेस्पोडेन्ट्स के स्वीकृत किया है। अदालत मातहत ने राजस्थान लैण्ड रिकार्ड रूल्स 1957 के नियम 121 की नही की है। वारिसान की जांच नही की है और बिना वारिसान की जांच किये उपरोक्त नामान स्वीकार किया है। अपीलान्ट्स नौरंग की पुत्रियां होने से हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तह की वारिस है। विरासतन नामान्तरकरण संख्या 99 अपीलान्ट्स व रेस्पोडेन्ट्स के हक में बहिस्सा स्वीकृत करना चाहिये था जो नही कर अदालत मातहत ने तथ्य व विधि की भूल की है। मातहत द्वारा धारा 135 (1) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत नामान्तरकरण करने से पहले उत्तराधिकारियो की जांच नही की गई है। आदेश जैर बहस स्पीकिंग नही है। जैर बहस के केवल यह दर्ज किया गया है कि "कॉलम संख्या 11 स्वीकार किया जाता है" इ वारिसान की जांच नही की गई है। अपीलान्ट्स नामान्तरकरण जैर बहस संख्या 99 ग्राम रसोड़ा 20.06.1989 से प्रभावित हैं उक्त नामान्तकरण अपीलान्ट्स के हितो के विपरीत स्वीकृत किया इस कारण अपीलान्ट्स प्रभावित पक्षकार की हैसियत से यह अपील प्रस्तुत कर रही है। अत अपीलान्ट्स स्वीकार फरमायी जाकर अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश बाबत नामान्तरकरण स ग्राम रसोड़ा दिनांक 20.06.1989 को अपास्त किया जाकर प्रकरण अदालत मातहत को इस नि साथ प्रतिप्रेषित किया जावे कि अदालत मातहत नौरंग के वारिसान की जांच कर विरासत नाम की कार्यवाही करे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2023.05.16 12:22:09 IST
Reason: SelfAttested

बहस के दौरान वकील रेस्पोडेन्ट्स सं0 1 [illegible] प्रा0प0 राज0 सरकार को नियुक्त किये जाने व प्रा0प0 प्रारम्भिक [illegible] अपील अपीलान्ट्स के का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि प्रकरण [illegible] नामान्तरकरण सं0 99 वाके ग्राम तहसीलदार झुंझुनूं द्वारा तस्दीक किया गया है जिसे अपील मे पक्षकार नही बनाया गया कि अपील मे आवश्यक पक्षकार थे। दूसरी ओर अपील आदेश दिनांक 20.06.1989 के काफी देरी से पेश की गई है। अपील इतनी अधिक देरी से पेश करने का कोई यु कारण नही बताया है। अतः अपील अपीलान्ट्स खारीज फरमाई जावे।

बहस के दौरान वकील रेस्पोडेन्ट्स सं0 2 व 4 ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अ प्रार्थना पत्र 96 जा0दी0 एवं प्रा0प0 दफा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार करने मे कोई ऐतर

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष की बहस पर मनन
दस्तावेजों के अवलोकन से जाहिर है कि वाके ग्राम ग्राम रसोडा के कम मे
नामान्तरकरण सं0 99 दिनांक 20.06.1989 मे अपीलान्ट्स जो कि स्व0 नौरंग की पुत्रिय
उनके हक से वंचित किया गया है। विरासतन नामान्तरकरण मे पुत्रियों को उनके हक
नही किया जा सकता है। ऐसी स्थिति मे हम अदालत मातहत द्वारा भरे गये नामान्तरक
99 दिनांक 20.06.1989 वाके ग्राम रसोडा को त्रुटिपूर्ण मानते है। अतः वकील रेस्पोडेन्ट स
के प्रार्थना पत्र राज0 सरकार को पक्षकार नियुक्त किये जाने व प्रा0प0 प्रारम्भिक आपत्ति
किया जाकर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अदालत मातहत को इन निर्देशों
प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण मे वारिसान की पूर्ण जांच कर पक्षकारान् को साक्ष
पेश करने के समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारि
मातहत रेकार्ड आदेश प्रति सहित लौटाया जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल
हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 27.03.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल0एस0
जिला कल
झुंझुन

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2023.05.16 12:22:09 IST
Reason: SelfAttested